

कार्यकारी सार

पृष्ठभूमि

जुलाई 2005 में, हरियाणा सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम अधिनियमित किया। इसने अपनी अर्थनीति में स्थिरता के साथ वृद्धि प्राप्त करने के दीर्घावधि उद्देश्य से मध्यावधि में राजकोषीय सुधार मार्ग के माध्यम से एक सुधार कार्यसूची निर्धारित की। सरकार की इन सुधारों को बढ़ावा देने की वचनबद्धता बाद के बजटों में उद्घोषित नीति उपक्रमणों से ज़ालकर्ती है। एफ.आर.बी.एम. अधिनियम की विधि के लाभ कुछ सीमा तक राजस्व/राजकोषीय घाटे को कम करके तथा देयताओं को न्यूनतम करके प्राप्त किए गए हैं। तथापि, संस्थागत एवं क्षेत्रीय सुधारकों द्वारा लोक - व्यय की गुणवत्ता सुधारने और राजकोषीय स्थिरता बढ़ाने हेतु अत्यंत आवश्यक 'राजकोषीय स्थान' तैयार करने के लिए अधिक प्रयास करने होंगे। सरकार ने राजकोषीय पारदर्शिता और उत्तरदायिता के लिए सही संस्थागत यंत्रावली बनाई है।

प्रतिवेदन

हरियाणा सरकार के मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षित लेखाओं पर आधारित यह प्रतिवेदन सरकार के वार्षिक लेखाओं की विश्लेषणात्मक समीक्षा करता है। इस प्रतिवेदन के तीन अध्याय हैं।

अध्याय 1 वित्त लेखाओं की लेखापरीक्षा पर आधारित है और राज्य सरकार की 31 मार्च 2011 की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह प्रतिबद्ध व्यय और उधार लेने की पद्धतियों की प्रवृत्तियों पर पूर्ण जानकारी के अतिरिक्त राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को बजट रूट से अलग माध्यम से सीधे हस्तांतरित केन्द्रीय निधियों का संक्षिप्त लेखा भी प्रदान करता है।

अध्याय 2 विनियोजन लेखाओं की लेखापरीक्षा पर आधारित है और यह अनुदानवार विनियोजन और पद्धति, जिससे आबंटित संसाधनों का प्रबन्ध सेवा वितरक विभागों द्वारा किया गया था, का विवरण देता है।

अध्याय 3 हरियाणा सरकार द्वारा, विभिन्न प्रतिवेदक अपेक्षाओं और वित्तीय नियमों की अनुपालना से सम्बन्धित सूची है। प्रतिवेदन में निष्कर्षों के समर्थन में विभिन्न सरकारी विभागों / संगठनों से प्राप्त आंकड़े भी सम्मिलित हैं।

लेखापरीक्षा परिणाम एवं सिफारिशें

अध्याय 1

वित्तीय सुधार: राजकोषीय स्थिति, जो राजकोषीय मानकों अर्थात् राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटा / आधिक्य के संबंध में देखी जाती है, जिसने 2008 - 09 से बढ़ती प्रवृत्तियां इंगित की, ने 2010 - 11 के दौरान कुछ सुधार दर्शाए। तथापि, ये अभी तक घाटे में थी। तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राजस्व

घाटा 2011–12 तक शून्य तक लाया जाना है। राज्य अभी भी एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है यदि बेहतर कर अनुपालन, कर एकत्रीकरण की लागत में कमी, राजस्व बकाया को वापस प्राप्त करने पर संकेन्द्रण के माध्यम से और अनुत्पादक खर्च को कम करके सामूहिक प्रयास किए जाएं।

ब्याज भुगतान: ब्याज भुगतान (` 3,319 करोड़), जो 2009–10 पर वर्ष के दौरान 21 प्रतिशत तक बढ़ गये, राजकोषीय सुधार पथ (` 3,509 करोड़) तथा मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरणी (` 3,573 करोड़) तथा तेरहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट (` 3,474 करोड़) में किये गये प्रक्षेपणों के भीतर थे।

योजनेत्तर व्यय: राजस्व व्यय (` 28,310 करोड़) कुल व्यय (` 33,063 करोड़) का 86 प्रतिशत था जिसमें 67 प्रतिशत योजनेत्तर घटक (` 22,059 करोड़) था। योजनेत्तर राजस्व व्यय तेरहवें वित्त आयोग के मानकीय निर्धारण (` 15,790 करोड़) तथा मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरणी में किए गए प्रक्षेपणों (` 21,698 करोड़) से उच्चतर था किन्तु राजकोषीय सुधार पथ में किये गये प्रक्षेपण (` 22,944 करोड़) के भीतर था।

अपूर्ण परियोजनाएं: अप्रैल 2008 और फरवरी 2011 के बीच पूर्ण होने वाली इककीस (भवन एवं सड़क) परियोजनाएं अब तक अपूर्ण थी। इन अपूर्ण परियोजनाओं का समय एवं लागत व्यय कम किया जाना चाहिए ताकि हरियाणा के लोगों के लिए धन का मूल्य सुनिश्चित किया जा सके।

सरकारी निवेशों की समीक्षा: साविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों और सहकारिताओं में सरकार के निवेशों पर औसत आवर्त्त पिछले पांच सालों में 0.04 से 0.18 प्रतिशत के मध्य रही जबकि इस पर औसत निर्गमन की रेंज 7.43 से 9.29 प्रतिशत थी। यह एक असह्य अनुपातिकता है। इसलिए राज्य सरकार को, बेहतर मूल्य प्राप्ति निवेशों की ओर जाना चाहिए अन्यथा परियोजनाओं के लिए उच्च मूल्य के ऋणों की निधियां कम आर्थिक लाभों से अर्थव्यवस्था पर भार डालना जारी रखेंगी। वे परियोजनाएं जो कम खर्च परन्तु ज्यादा सामाजिक - आर्थिक प्राप्तियों के लिए उचित हैं, चिह्नित की जाएं तथा उच्च लागत ऋणों हेतु पूर्ण औचित्य के साथ प्राथमिकता दी जाए। समय आ गया है कि राज्य अधिकृत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, जिनमें बड़े नुकसान हो रहे हैं, के कार्यचालन की समीक्षा की जाए और एक पुनर्जीवन योजना परिकलित की जाए उनके लिए जो अनुकूल प्रकृति की हैं और पुनर्जीवित की जा सकती हैं या अपनी साम्या का अपनिवेश कर बीमार यूनिटों को बंद कर दिया जाए।

कर्ज निर्वहन योग्यता: एच.एफ.आर.बी.एम. अधिनियम 2005 के अनुसार, आकस्मिक देयताओं सहित कुल कर्ज उस वर्ष के अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) 22.4 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। 2010–11 के दौरान गारंटियों तथा सांत्वना – पत्र सहित राज्य की कुल देयताएं ` 55,786 करोड़ थीं जो जी.एस.डी.पी. का 21.64 प्रतिशत थीं जो एच.एफ.आर.बी.एम. अधिनियम 2005 की सीमाओं में थीं। राजस्व घाटा सूचित करता है कि उच्च दर ऋणों का कुछ भाग सरकार द्वारा अपने वर्तमान खर्च पूरा करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ऋणित निधियां यथासंभव केवल पूँजीगत व्यय के निधिकरण हेतु प्रयुक्त की जानी चाहिए जबकि राजस्व खर्च पूर्णतः राजस्व प्राप्तियों में से पूरा किया जाना चाहिए। प्राथमिक सरप्लस और शून्य राजस्व घाटे की स्थिति में वापस पहुंचने के प्रयास यथाशीघ्र किए जाने चाहिए। ऋणों का एक कलैण्डर, ताकि वित्त वर्ष के अन्त में इनका एकत्रीकरण न हो, बनाने और कर्ज देयताओं की परिपक्वता सूची बनाए जाने से विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन सम्भव होगा।

राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को भारत सरकार (जी.ओ.आई.) से सीधे हस्तान्तरित निधियों की अवहेलना: जी.ओ.आई. ने वर्ष के दौरान राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को ` 1,308.84 करोड़ प्रत्यक्षतः हस्तांतरित किए जोकि पिछले वर्ष पर ` 203.64 करोड़ (18 प्रतिशत) की वृद्धि थी। चूंकि निधियां सरकारी खातों के माध्यम से नहीं दी गई थी, राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को जी.ओ.आई. से निधियों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण इन अभिकरणों द्वारा निधियों के उपयोग तथा लेखाओं के अनुरक्षण की चूंक के जोखिम को बढ़ाता है। इन अभिकरणों द्वारा अनुसरित एकसमान लेखांकन प्रचलनों के अभाव में समुचित प्रलेखन मौजूद नहीं था तथा इन कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा व्यय की स्थिति के बारे में समयबद्ध रिपोर्टिंग नहीं की जा रही थी।

अध्याय 2

वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय नियंत्रण:

‘ 222.47 करोड़ के बजट आबंटनों पर आधिक्य के प्रति संतुलन के बावजूद भी राज्य में विभिन्न सामाजिक एवं विकासशील कार्यक्रमों के कार्यान्वन में धीमी प्रगति से ` 9,759.56 करोड़ की समग्र बचत रही। अतिरिक्त व्यय को भारतीय संविधान की धारा 205 के तहत विनियमित किए जाने की आवश्यकता है। निधियों के अपर्याप्त प्रावधान और अनावश्यक अथवा ज्यादा पुनर्विनियोजन के उदाहरण भी थे। राज्य में अवलोकित वर्ष के अन्त में अधिक खर्च भी अन्य चिरकालिक लक्षण था। बहुत से केसों में, पूर्वज्ञात बचतें या तो समर्पित नहीं की गई या वर्ष के आखिरी दो दिनों में की गई जिससे इन निधियों को अन्य विकास कार्यों पर खर्च किए जाने की गुंजाइश नहीं थी। बजट नियंत्रण का सरक्ती से पालन किया जाना चाहिए ताकि बजट प्रबन्धन में ऐसी कमियां न रहें। अन्तिम समय निधि का निर्गम और पुनर्विनियोजन/समर्पण आदेश जारी करने से बचना चाहिए।

अध्याय 3

वित्तीय प्रतिवेदन करना:

सरकार के विभिन्न नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों की विभिन्न विभागों में अनुपालना नहीं की जा रही थी जैसा कि विभिन्न ग्रांटी संस्थाओं से ऋणों एवं अनुदानों के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण - पत्रों के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब से स्पष्ट था। स्वायत्त निकायों और विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक अंडरटेकिंग्स द्वारा भी वार्षिक लेखे प्रस्तुतिकरण में देरी अवलोकित की गई। हानियों और दुरुपयोगों के उदाहरण थे जिसके लिए विभागीय कार्यवाही लम्बे समय से लम्बित थी। ऐसे मामलों में चूंककर्ताओं से स्पष्टीकरण मांगने हेतु विभागीय जांच - पड़ताल शीघ्रता से पूरी की जानी चाहिए। भविष्य में ऐसे केसों से बचने के लिए सभी संगठनों में आन्तरिक नियंत्रण को सशक्त किया जाना चाहिए। 2010 - 11 के दौरान प्राप्तियों तथा व्यय की महत्वपूर्ण राशियां बहुप्रयोजन लघु शीर्ष ‘800 - अन्य प्राप्तियां/व्यय’ के अन्तर्गत वर्गीकृत की गई थी, वित्तीय रिपोर्टिंग में उच्चतर पारदर्शिता के लिए इससे बचा जाना चाहिए।